रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, नवम्बर 3—नवम्बर 9, 2019, शनिवार/कार्तिक 12—कार्तिक 18, 1941
No. 36] NEW DELHI, NOVEMBER 3— NOVEMBER 9, 2019, SATURDAY/KARTIKA 12—KARTIKA 18, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2019

का. नि. आ. 102.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय के तारीख 23 सितंबर 1967 के पत्र संख्या 02051/RR/GS/Arty-3-13782/D(Appts) द्वारा अधिसूचित पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-III, भर्ती नियम को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, सिकन्दराबाद में पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, सिकन्दराबाद, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि**. – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **प्रारंभिक गठन**.— इन नियम में किसी बात के होते हुए, ऐसे अधिकारी जो निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (i) में उल्लिखित पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन सारणी के स्तंभ (ii) में दर्शित तन्स्थानी पदों पर नियुक्ति किए गए समझे जायेंगे । उनकी ज्येष्ठता, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा कथित ज्येष्ठता के साधारण सिद्धान्तों के अनुसार नियत की जायेगी ।

सारणी

(i)	(ii)
पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ग') रु. 5000-8000 (पूर्व संशोधित – 5वें केंद्रीय वेतन आयोग)	पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख') रु. 5500-9000 (पूर्व संशोधित – 5वें केंद्रीय वेतन आयोग) वेतन बैंड – 2, वेतन ग्रेड 4200/- - 6वें केंद्रीय वेतन आयोग (पूर्व संशोधित) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 – 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (संशोधित)

5. **निरर्हता**. – **वह व्यक्ति** ,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	* 02 (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा का अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
आवश्यक: (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग मे डिप्लोमा। **टिप्पण 1**: अर्हताएं अन्यथा सुहअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों को लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के इस प्रक्रम पर सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर अपने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200-92300 रु.) में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है, और (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर – बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) प्रधान निदेशक मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(2) निदेशक मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय - सदस्य (3) अवर सचिव रक्षा मंत्रालय - सदस्य	

[फा. सं. 15881/भ.नि./एसएलआईए/सीडीएम/आईडीएस/कार्मिक/396/र.(नि.)/2019]

एस. एस. एस. शर्मा, निदेशक (स्था. एवं सी. पी.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th November, 2019

S.R.O. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Librarian Grade III Recruitment Rules notified vide Ministry of Defence, letter No. 02051/RR/GS/Arty-3-13782/D(Appts) dated the 23 September, 1967, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant (Group 'B') in College of Defence Management, Secunderabad under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Headquarters Integrated Defence Staff, College of Defence Management, Secunderabad, Library and Information Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.—**The number of said post, its classification, and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—** The method of recruitment to the said post, age-limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Initial Constitution.—** Notwithstanding anything contained in these rules, officers holding the following posts mentioned in column (i) of the following table shall be deemed to have been appointed to the posts correspondingly shown in column (ii) of the table under these rules. Seniority shall be fixed according to the general principles of seniority laid down by the Government from time to time.

TABLE

(i)	(ii)
Library and Information Assistant (Group 'C') Rs. 5000-8000 (Pre-revised - 5th CPC)	Library and Information Assistant (Group 'B') Rs. 5500-9000 (Pre-revised - 5th Central Pay Commission) PB-2, Gp 4200/- -6th Central Pay Commission (Pre-revised) Level-6 in Pay Matrix – 7th Central Pay Commission (Revised)

5. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Library and Information Assistant.	2* (2019) *(subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).

Whether selection or Non-Selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	(6)
Not applicable	Not exceeding thirty years. **Note 1**: Relaxable for Government servants upto five years’ in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualification required for direct recruits
(7)
Essential: (i) Bachelor’s Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute. (ii) Two years professional experience in a Library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or educational institution. **Desirable:** Diploma in Computer Application from a recognised university or institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	**Deputation (Including Short Term Contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territory administration or autonomous or statutory organisation or Public sector undertaking or recognised University or institute or research institution: (A) (i) holding analogous post on a

			regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-5 in the pay matrix (Rs. 29,200-92,300) in the parent cadre or Department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1:** Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Principal Director Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence - Chairman; 2. Director Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence - Member; 3. Under Secretary, Ministry of Defence - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 15881/RRs/SLIA/CDM/IDS/Pers/396/D(Apptts)/2019]

S.S.S. SARMA, Director (Estt & CP)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.16 10:30:32 +05'30'